कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

क.रा.बी.नि.
ESIC

सत्यमेव जयते

पंचदीप भवन, नेहरू मार्ग, पटना-800001
PANCHDEEP BHAWAN, NEHRU MARG, PATNA-01
फोन : (0612) 2521928; ईमेल : rd-bihar@esic.gov.in
वेबसाइट : www.esic.gov.in

प्रेस वज्ञप्ति

केंद्र सरकार ने बिहार में कर्मचारी राज्य बीमा सोसाइटी के गठन की दी मंजूरी ।

केंद्र सरकार द्वारा बिहार में कर्मचारी राज्य बीमा सोसाइटी के गठन की स्वीकृति दे गई है । बिहार कैबिनेट के अनुमोदन के उपरांत सोसाइटी का निबंधन कराया जा चुका है तथा इसकी स्वीकृति हेतु भारत सरकार से अनुरोध कया गया था, अब केंद्र द्वारा प्रस्ताव सहमति प्रदान कर दी गई है ।

ईएसआईसी के क्षेत्रीय निदेशक बिहार 'सीए निरंजन कुमार' ने बताया क कर्मचारी राज्य बीमा अधनियम, 1948 की धारा 58 (5) के प्रावधानों को राज्य में लागू करने के लए यह सोसाइटी मुख्य सचव, बिहार की अध्यक्षता में कार्य करेगी । इस मंजूरी के फलस्वरूप बिहार में ईएसआई योजना से जुड़े संगठित क्षेत्र के 4.5 लाख बीमतों/कामगार एवं उनसे जुड़े जुड़े परिवार के सदस्यों को चकत्सा सुवधा उपलब्ध कराने व उसे सुदृढ़ बनाने के लए सोसाइटी को प्रशासनिक प्रबंधन एवं वत्तीय व्यवस्था संचालत करने की स्वायत्ता प्राप्त हो गई है । बिहार में औषधालयों के संचालन के लए सोसाइटी अपने स्तर पर चकत्सा अधकारियों, नर्सींग व पारा मेडकल कर्मयों की प्रतिनियुक्ति या संवदा आधारित

नियुक्तियाँ कर सकेगी, इससे बीमतों को चकत्सा सुवधाएँ आसानी से उपलब्ध कराई जा सकेगी ।

वदित हो की सोसाइटी में मुख्य सचव, बिहार के नेतृत्व में केंद्र सरकार के अंतर्गत ईएसआईसी के क्षेत्रीय निदेशक व राज्य चकत्सा अधकारी, बिहार सरकार के श्रम संसाधन संसाधन व स्वास्थ्य वभाग के वरीय अधकारियों, बिहार क्षेत्र के नियोक्ता एवं श्रमक प्रतिनिधयों को भी सदस्य बनाया गया है ।

(क्षेत्रीय निदेशक,बिहार)